संख्या- 590/2024/001/1019/24-27-सिं0-9-28 भवन/24

प्रेषक,

कुलदीप श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9 लखनऊ दिनांकः 12 नवम्बर, 2024

विषयः-जनपद मऊ में सिंचाई खण्ड-मऊ के खण्डीय कार्यालय के मरम्मत/पुनरोद्धार के कार्य की परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-640/1504/परियोजना/कैम्प/बजट, दिनांक 30 मई, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयगत परियोजना हेतु अनुदान संख्या-94 के लेखाशीर्षक-4701-08-051-10-14-24 के अंतर्गत रू0 29.59 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया था, जिसकी वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-258/2024/001/1019/24-27-सि0-9-28 भवन/24, दिनांक 14.06.2024 द्वारा निर्गत की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के व्यय के व्यौरेवार अनुमान में लेखाशीर्षक-4701-08-051-10-14-46 तथा परिशिष्ट में लेखाशीर्षक-4701-08-051-10-14-24 में भिन्नता के दृष्टिगत धनराशि के आवंटन में आ रही तकनीकी समस्या के कारण शासनादेश संख्या-258/2024/001/1019/ 24-27-सि0-9-28 भवन/24, दिनांक 14.06.2024 को निरस्त किया जाता है।

भवदीय,
कुलदीप श्रीवास्तव
विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखापरीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(4) मुख्य अभियन्ता (बजट/अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) मुख्य अभियन्ता (गण्डक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, गोरखपुर।
(6) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(8) अनु सचिव एवं नोडल अधिकारी, ऑनलाइन बजट आवंटन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
(9) गार्ड बुक।

आज्ञा से,
वी0एन0 तिवारी
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in